

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग,  
 लहानुड पर दिनांक 8-12-88 को हुई उ०प्र०आवास एवं विकास  
 परिषद की वर्षा-1988 की बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री खान गुरुरान जाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री शंकर अग्रवाल	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3-	श्री आर०रमणी	सहानिदेशक, सार्वजनिक उद्योग धरती, उ०प्र०आवास	मुख्य आमंत्री
4-	श्री जे०बी०भारीव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
5-	श्री ए०के०मिश्र	प्रशासक, नगर महापालिका	सदस्य
6-	श्री नागिन्दर सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
7-	श्रीमती उमा त्रिवाठी	एम०एम०ए०	सदस्या
8-	श्री के०बी०सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव

बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात् निम्न तर्कों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये-

क्र०सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 13-9-88 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पंचम/111/88	दिनांक 13-9-88 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 13-9-88 की अनुपालन आहवा।	पंचम/121/88	परिषद द्वारा दिनांक 13-9-88 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन से परिषद को अवगत कराया गया।
3-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद विधिसूचक सेवा विनियम-1980 के नियम-5 (डा।) में तशरीधान।	पंचम/131/88	परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
4-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद कर्मचारी कल्याण कोषा विनियमावली-1987	पंचम/141/88	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण पर विचार हेतु एक समिति का गठन किया जाये जिसमें निम्न सदस्य होंगे:- 1- अपर आवास आयुक्त एवं सचिव-संयोजक 2- संयुक्त सचिव, आवास अनुभाग- सदस्य 3- श्री जे०बी०भारीव-- सदस्य 4- श्रीमती उमा त्रिवाठी- सदस्या समिति अपनी रिपोर्ट परिषद की बैठक में प्रस्तुत करेगी।

- 5- परिषद योजनाओं के नामांकन के सम्बन्ध में। पंचम/151/88 परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकार पर विचार हेतु एक समिति का गठन किया जाय जो निम्न प्रकार होगी:-  
1-श्री के.पी.एसिंह, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव।  
2-श्री डी.टी.ठाकुर, मुख्य अभियन्ता।  
3-श्री ए.के.पचौरी, मुख्य वास्तुविद नियोजक।
- 6- परिषद द्वारा 13 प्रतिशत उपग्राम एवं विकास परिषद का बजट-1998-99 का प्रस्ताव के तहत अर्थात् 352 लाख के बजट जारी किया जाता। पंचम/161/88 परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
- 7- व्यवसायिक बैंकों से कन्सीरि-टियम के माध्यम से रुपये 5050.50 लाख का ऋण लिया जाना। पंचम/171/88 परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
- 8- परिषद के अध्यक्ष हेतु निवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। पंचम/181/88 परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त अध्यक्ष (MO) के अनुसार यह निर्णय लिया कि आवास परिषद एवं विकास प्राधिकरण की योजनाओं को देखा लिया जाये और जहाँ उपयुक्त भूखण्ड उपलब्ध हो उसे लेने की कार्यवाही की जाय।
- 9- अज्ञाती भारतीयों के पंजीकरण एवं आवंटन में विशेष सुविधाएँ। पंचम/191/88 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त अध्यक्ष तथा आवास आयुक्त द्वारा लिये गये निर्णयों को अनुमोदित किया गया।
- 10- अधिकारियों/कर्मचारियों के असाध्यिक निधान पर अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में। पंचम/1104/88 परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- 11- उपग्राम द्वारा कन्सीरि-टियम हरी पर स्वीकृत विभिन्न मास्ते/सुविधाएँ परिषद के कर्मचारियों को अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में। पंचम/1111/88 परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- 12- परिषद के सहायक प्रोग्राम-प्रथम के पदों का सृजन। पंचम/1121/88 परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है, जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया लेकिन नियमानुसार टैयरो तथा शालन से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय।
- 13- परिषद के बड़े हरे कार्यों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सहायकों के अतिरिक्त पदों का सृजन के सम्बन्ध में। पंचम/1131/88 परिषद की वर्ष-88 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है, जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया लेकिन नियमानुसार टैयरो तथा शालन से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय।

1	2	3	4
---	---	---	---

- |  |              |  |
|--|--------------|--|
| 14- कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के साधन।  | बंघम/1141/88 | परिषद की वर्षा-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवात आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।  |
| 15- परिषद कार्यों के लिये मध्य वित्त एवं लेखाधिकारी की आकस्मिक व्ययों की स्वीकृति का अधिकार प्रदत्त किया जाना।               | बंघम/1151/88 | परिषद की वर्षा-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवात आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।  |
| 16- किरतों पर प्रदृष्ट सम्पत्ति के विवेधा पूर्ण भागतान करने पर छूट दिये जाने के संबंध में।                                   | बंघम/1161/88 | परिषद की वर्षा-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवात आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।  |
| 17- परिषद की योजनाओं में सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं के लिए भूमि रियायती दर पर देने के सम्बन्ध में।                            | बंघम/1171/88 | परिषद की वर्षा-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवात आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।  |
| 18- बिलम्ब शालक एवं रक्षारखाब शालक के सम्बन्ध में।   | बंघम/1181/88 | परिषद की वर्षा-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवात आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।  |
| 19- पंजीकरण का उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी में परिवर्तना।  | बंघम/1191/88 | परिषद की वर्षा-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवात आयुक्त द्वारा निर्णय लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।   |
| 20- परिषद द्वारा आवंटियों को भवन का कब्जा दिये जाने पर हर विलम्ब के फलस्वरूप सेवा धानराशि पर व्याज दिये जाने के सम्बन्ध में। | बंघम/1201/88 | परिषद के संकल्प सं0151/80 दिनांक 25-2-80 के अनुसार अध्यक्ष एवं आवात आयुक्त द्वारा लिये गये निर्णय को परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि चूंकि कब्जा लेने में देरी करने पर रखा-रखाब शालक भी लिया जाता है, इसलिये इस निर्णय के अनुसार रक्षारखाब व शालक उस समय के लिये नहीं लिया जायेगा जिस समय परिषद कब्जा देने में अतर्था हो तथा आवंटियों को व्याज देना पड़े। |
| 21- योजनाओं में सांस्कृतिक व धार्मिक प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन।   | बंघम/1211/88 | इस मामले में अध्यक्ष एवं आवात आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।  |

1	2	3	4
22-	नकद पर आवंटित संपत्ति में उ आह का अतिरिक्त समय साधारण व्याज के साथ दिये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/1221/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिए गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
23-	गाज़ियाबाद गहर के पंजीकृत कृता द्वारा अन्य नगर में पंजीकरण स्थानान्तरण कराये जाने पर सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/1231/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिए गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
24-	अलोकप्रिय योजनाओं में संपत्ति को आवंटन करने हेतु विरोध प्रयास।	पंचम/1241/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिए गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
25-400	वर्गमीटर से बड़े भांडाण्डों का मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में।	पंचम/1251/88	परिषद के संकल्प सं01511/80 दिनांक 25-2-80 के अनुसार अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा लिये गये निर्णय को सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया परन्तु यह निर्णय लिया गया कि भाविक्य में 400 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भांडाण्ड न बनाये जायें। यह प्रस्ताव परिषद की बैठक में रखा जायेगा कि किन-किन नगरों में किन-किन साइज के भांडाण्ड बनाये जायें।
26-	कानपुर योजना सं0-3 स्कीम सं0-59671के भूमि अधिग्रहण हेतु हडकी द्वारा स्वीकृति शर्त प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1261/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिए गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
27-	हडकी पोषित भूमि अवन योजना।	पंचम/1271/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिए गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
28-	हडकी वित्त पोषित 3 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडकी से शर्त प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1281/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिए गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
29-	हडकी वित्त पोषित-7 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडकी से शर्त प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1291/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिए गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
30-	हडकी वित्त पोषित-2 योजनाओं में स्वीकृत शर्तों को सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में।	पंचम/1301/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिए गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

1	2	3	4
31-	हड़को वित्त पोषित योजनाओं में स्वीकृत भूजा के प्रतिभानति के लक्ष्य में विजया बैंक इन्दिरानगर लखनऊ से बैंक सार्वजनिक प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1311/88	परिषद की वर्षा-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
32-	कानपुर योजना सं०-1 स्कीम सं०-59941के भाूमि अधिग्रहण हेतु हड़को द्वारा भूजा प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1321/88	परिषद की वर्षा-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
33-	सिकन्दरा योजना आगरा में 18/80 आर० प्रकार के 661 भावनों की पुरातात्विक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1331/88	परिषद की वर्षा-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
34-	अधारा, लखीमपुर एवं अमरौदा में टकानों का निष्पन्न कार्य।	पंचम/1341/88	परिषद की वर्षा-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
35-	योजना सं०-1 बुलन्दशहर सिकन्दरा योजना, आगरा में मध्यम आय वर्ग भावनों तथा मझौली योजना सं०-4 फेज मरादाबाद में अल्प आय वर्ग भावनों की पुरातात्विक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1351/88	परिषद की वर्षा-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
36-	रानीपूर हरिद्वार में वी०एच०ई०-सहकारी निर्माण समिति की प्रथम डिवाजिट विकास परियोजना की 62 एकड़ भूमि हेतु पुरातात्विक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1361/88	परिषद की वर्षा-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
37-	हड़को वित्त पोषित-2 योजनाओं में स्वीकृत भूजा की सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में।	पंचम/1371/88	परिषद की वर्षा-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

1	2	3	4
38-	सिकन्दरा योजना, आगरा में अल्प आय वर्ग अलीगढ़ रोड स्टा योजना सं०-2 में 80 आ0व0 तथा शिको-हाबाद योजना सं०-1 में 80 आ0व0 भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1391/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास अधिकृत द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
39-	सतलुधारा योजना सं०-3 गाँजियाबाद में वाहय टंक विकास परियोजना के अन्तर्गत पेय जल आपूर्ति हेतु सिल्टिंग इन क्षेत्र में नलक्यों के निर्माण हेतु भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1391/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास अधिकृत द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
40-	लखानऊ, गोरहापुर तथा भरत में दुकानों का निर्माण कार्य।	पंचम/1401/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास अधिकृत द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
41-	काशीपुर योजना सं०-2 में विकास कार्य हेतु 7:86 एकड़ के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1411/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास अधिकृत द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
42-	काशीपुर योजना सं०-1 में स्वीकृत 8, 80 आ0व0 भावनों के स्थान उपलब्ध न होने के कारण योजना सं०-2 में बनाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/1421/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास अधिकृत द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
43-	कानपुर, आगरा, सैदपुर, लखानऊ तथा बाराबंकी में 80 आ0व0 तथा स्वयं चिह्नित पोषित टाईप-1 प्रकार भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1431/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास अधिकृत द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
44-	देहरादून हरिद्वार एवं बरेली में दुकानों का निर्माण कार्य।	पंचम/1441/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास अधिकृत द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
45-	आगरा, हरदोई में दुकानों का निर्माण कार्य। दास यमुना योजना पैज-1, आगरा।	पंचम/1451/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास अधिकृत द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
46-	परिषद की माल स्वयं योजना में आवास आयुक्त के लिये निर्मित भावन के लिये निर्मित भावन के अतिरिक्त निर्माण के सम्बन्ध में।	पंचम/1461/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास अधिकृत द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

1	2	3	4
47-	हल्दवानी योजना सं०-1 में 80आ0व0के0 एक भवन जो गैस्ट हाउस के स्तर में प्रयोग किया जा रहा है को सुव्यवस्थित करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1471/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
48-	परिषद की काल स्वन्य योजना में आवास आयुक्त के निवास की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1481/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि० 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
49-	इन्दिरानगर योजना, लखनऊ में भवन सं०-ए०-60 को गैस्ट हाउस स्थापित करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1491/88	परिषद की वर्ष-1980 में प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया है जिसको परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
50-	अधोध्या मार्ग, फैजाबाद में 203 आ0आ0व0/18/401 प्रकार के भवनों की प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/1501/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
51-	हरदोई, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद स्ट्रैपर गार्डरी में वर्ष-88-89 के लिए 20आ0व0 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1511/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया है जिसको परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
52-	हाटीया योजना सं०-1 के अन्तर्गत विकास कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1521/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
53-	वर्ष-1988-89 हेतु पुनरीक्षित आय-व्ययक।	पंचम/1531/88	आवास आयुक्त द्वारा यह सूचित किया गया कि आवास परिषद की कुल आय रु० 118 करोड़ के बजाय 110.95 करोड़ होने की संभावना है जिसका विपरीत कारण शासन से कम रकम मिलने तथा रकम पत्रों से कम धनराशि उपलब्ध होना है। आवास परिषद द्वारा यह सूचित किया गया कि परिषद की आय कम होने के कारण परिषद के पहले निर्णय के अनुसार भवन निर्माण तथा विकास पर 65 करोड़ का व्यय होना संभव नहीं हो पायेगा। आवास आयुक्त द्वारा यह सूचित दिया गया कि शासन से अधिक रकम स्वीकृत करने हेतु वन: अनुरोध किया जाये। मा०अध्यक्ष द्वारा आवास आयुक्त के विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए कहा गया कि शासन द्वारा आवास परिषद को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध होनी चाहिये। परिषद के अन्य सदस्यों द्वारा भी आवास आयुक्त के विचारों से सहमति व्यक्त की गयी।

1	2	3	4
54-	परिषद के अधीन अभियन्ताओं द्वारा निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1541/88	परिषद के विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
55-	सहायक अभियन्ताओं के कार्यों के नाम स्थायी उच्चतमकी सीमा रु० 1000/- से बढ़ाकर रु० 5000/- करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1551/88	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
56-	खण्डीय भाण्डार का अधिकतम एवं आरक्षित सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में।	पंचम/1561/88	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त केवल सर्वनिर्मित संस्थाओं से सीमेंट तथा स्टील आदि लेने के लिए प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। अन्य में वर्तमान सीमा ही लागू रहेगी।
57-	सम्पत्तियों के आवंटन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम।	पंचम/1571/88	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी परन्तु यह संशोधन किया गया कि मूल्यांकन की कार्यवाही निर्माण खण्डों द्वारा भावन, आखण्ड तथा अन्य संपत्ति का निर्माण पूरा करने के उपरान्त वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आरम्भ कर दी जायेगी तथा उसे 3 माह के अन्दर पूरी कर दी जायेगी।
58-	परिषद योजनाओं में आवासीय भागों के कार्यालय प्रयोग हेतु अस्थायी भा-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	पंचम/1581/88	अगली बैठक में विचारार्थ स्थापित।
59-	प्रदेश में निर्मिती केन्द्रों की स्थापना।	पंचम/1591/88	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
60-	गुण नियंत्रण मैनअल की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/1601/88	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण पर विचार हेतु एक समिति का गठन किया जाय जो निम्न प्रकार होगी:- 1-श्री केपी०सिंह, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव- संयोजक। 2-श्री ए०के०शिशु, सचिव, लखानऊ लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ- सदस्य। 3-श्री जे०पी०भार्गव, मुख्य नगर एवं गाँव नियोजक- सदस्य। अध्यक्ष म० ने मत व्यक्त किया कि उनके जलाई, 1985 के पत्र का अध्ययन समिति अवश्य करे और उसे करे। यह समिति गुण नियंत्रण मैनअल का अध्ययन करके अपनी आख्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
61-	इन्दिरानगर विस्तार सेक्टर-22 में 6 टुकानों की बनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1611/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि० 25-2-80 में लिए गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसकी परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
62-	सार्वजनिक उद्यमों में चिकित्सा आकाश का मानकीकरण।	पंचम/1621/88	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।



1	2	3	4
63-	सर्विस भाडाण्ड पर भावन निर्मित रीच उपलब्ध भाडाण्डों की प्रतिशत कम करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1631/88	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वतम्मत से स्वीकृति प्रदान की।
64-	नकद पर आरक्षित सम्पत्ति को आधा नकद/किरात पर पट्टित किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/1641/88	परिषद ने वर्ष-1980 की प्रस्ताव बैंक दि० 25-2-80 में लिए गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त वद्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसेको परिषद ध्दारासर्वतम्मत से अनुमोदित किया गया।
65-	मल्याकन निदेशिका का संशोधन।	पंचम/1651/88	परिषद वद्वारा विचार विमर्श के उपरान्त मल्याकन निदेशिका में संशोधन का प्रस्ताव सर्वतम्मत से स्वीकृत किया। परिषद वद्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद हित में कास्ट कन्सलटेन्ट नियुक्त कर दिया जाये।

माननीय अध्यक्ष की अनुमति के निम्न प्रस्तावों पर भी विचार किया गया:-

66-	ट0आ0ख0 एवं अ0आ0ख0 के अर्गी के व्यक्तियों के लिए भावनों तथा भाडाण्डों के मूल्य में छूट का प्राविधान।	पंचम/1661/88	परिषद वद्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि टर्नल आय वर्ग के लिए 30 प्रतिशत की तथा अन्य आय वर्ग के लिए 15 प्रतिशत की विकसित भूमि के मूल्य में छूट प्रदान कर दी जाये।
67-	परिषद के कार्य कलापों का विवरण।	पंचम/1671/88	आवास आयुक्त वद्वारा परिषद के कार्य कलापों के बारे में सदस्यों को अवगत कराया तथा यह भी सूचित किया गया कि शासन के समक्ष निम्न- लिखित बिन्दु अभी विचाराधीन है:- <ol style="list-style-type: none"> <li>1- भूमि अधिग्रहण की वर्तमान कठिनाइयों को दूर किया जाना।</li> <li>2- नज्म भूमि, अर्बन सी लिंग, रेक्ट तथा गाँव सभा को उपलब्ध भूमि आवास परिषद को दिलाना।</li> <li>3- बड़े बड़े शहरों में बहुराजिले भावनों का ही निर्माण किया जाना।</li> <li>4- कई शहरों में आवास परिषद की आवासीय योजनाओं को नगर सभा- पालिकाओं को स्थानान्तरित किया जाना।</li> <li>5- परिषद की आवश्यकतानुसार अणु/ धानराशि स्वीकृत करना।</li> <li>6- 20 तृतीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों को कम करना।</li> <li>7- अत्यन्त आवश्यक रिक्त पदों पर भाती हेतु अनुमति प्रदान करना।</li> </ol>

सदस्यों वद्वारा विचार-विमर्श  
करने के उपरान्त यह सुझाव दिया गया  
कि सभी बिन्दुओं पर शासन को पत्र  
लिखा जाये तथा उचित आदेश जारी  
करवाने का प्रयास किया जाये। विशेष  
तौर पर 20 तृतीय कार्यक्रम के लक्ष्यों को  
कम कराने हेतु शासन से अनुरोध किया  
जाये।

1	2	3	4
---	---	---	---

68-कार्य प्रभारित/दैनिक  
केलन भोगी/मस्टर रोल  
कर्मचारियों की नियमित  
कर्मचारियों के बराबर  
केलन दिये जाने एवं  
नियमित करण के सम्बन्ध  
में।

पंचम/1681/88

परिषद द्वारा विस्तारपूर्वक विचार-  
विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया  
गया कि कार्यप्रभारित कर्मचारियों के  
नियमित करण की कार्यवाही प्रस्ताव के  
अनुसार की जाये। कार्य प्रभारित  
कर्मचारियों की सेवा विनियमाली के  
बारे में जो समिति गठित की गयी थी  
यह अपनी रिपोर्ट परिषद के समक्ष  
पेश कर प्रस्तुत करे। रिपोर्ट प्रस्तुत करने  
से पूर्व समिति ताकतविक निर्माण विभाग  
जल निगम आदि द्वारा तैयार की गयी  
सेवा विनियमाली का भी अध्ययन  
करले।

मस्टर रोल तथा दैनिक केलन भोगी  
कर्मचारियों की समस्याओं का विस्तार-  
पूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त रिपोर्ट  
प्रस्तुत करने हेतु निम्न सदस्यों की एक  
समिति गठित कर दी गयी :-

- 1-श्री के.पी. सिंह, उपर आवास आयुक्त  
एवं सचिव-संयोजक।
- 2-श्री शंकर अमवाल, संयुक्त सचिव-सदस्य
- 3-श्री एस.सी. दीक्षित, संयुक्त सचिव-सदस्य

69-परिषद के कर्मचारियों/  
अधिकारियों को भावन  
तथा भूखण्ड के अल्प  
में छूट प्रदान करना।

पंचम/1691/88

परिषद द्वारा विस्तारपूर्वक विचार-  
विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया  
गया कि परिषद अधिकारियों एवं  
कर्मचारियों को जो भावन तथा भूखण्ड  
आवृत्त किये जायेंगे उसमें सम्मिलित  
के कुल मूल्य में 5 प्रतिशत की छूट दी  
जायेगी।

युवक की गयी

*(Signature)*

31.12.88